पंजीकृत / ई-मेल

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
गैरसैण

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक :- 17 / 1 ए०ए०

दिनांक - 06/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर,
जिला- चमोली।

विशय:- जनपद चमोली में दिवालीखाल-किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है.वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।(Proposal No. FP/UK/ROAD/11039/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 147 / 2016 / एफ0सी0 / 1666 दिनांक 28.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सैन्द्धातिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की जा रही है। सैन्द्धातिक स्वीकृति मे लगायी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	लगायी गयी शर्ते	शर्तो की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनिकरणः	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.044 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम घेरबूंगा सिविल खसरा नं0 432 में प्रतिपूरक वनिकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 1421 / छब्बीस- (2023-2024) दिनांक गोपेश्वर 27.12. 2023 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, दाखा वन विभाग के नाम करने के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा। प्लानटेशन की कार्यवाही वन विभाग के द्वारा की जानी है।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनिकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांन्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 1421 / छब्बीस- (2023-2024) दिनांक गोपेश्वर 27.12. 2023 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।(आदेश की प्रति संलग्न है।) अमल दरामद की कार्यवाही उपजिलाधिकारी थराली के कार्यालय में गतिमान है।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, की उक्त सी0ए0 क्षेत्रफल पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नही किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
(घ)	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।

4	प्रतिपूरक वनिकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनिकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनिकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनिकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना मे भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्कत प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रतिपूरक वनिकरण 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु रू0 99,09,357.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for CAMPA Funds, Application No- 6111039137 Date.26-03-2021 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है, (संलग्न-धनराशि भुगतान चालान की प्रति)
5	शुद्व वर्तमान मूल्य	–
(क)	इस संबंध मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (पी0टी0 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दि0 03.10.2006 एवं 573/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.522 हे॰ वनक्षेत्र के प्रत्यावेदन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	NEFT/RTGS Challan for CAMPA Funds, Application No- 6111039137 Date.26-03-2021 द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा कर दी गयी है,
(ख)	विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के भुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक भापथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 2025 tree including 835 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी	शर्त मान्य हैं।
7	The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land & select non-forest forest of less dense area for this purpose.	शर्त मान्य हैं।
8	State Government will submit the revised CA Scheme incorporating the ANR, soil conservation and water conservation provision into it.	–
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगें।	शर्त मान्य हैं।
10	प्रयोक्ता अभियकरण आईआरसी0 मानदंडो के अनुसार सडक के दोनो किनोरो पर पौधो की संख्या बढ़ाएगा।	प्रपत्र संलग्न है।
11	गाइडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	कार्य प्रारम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य हैं। (एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र प्रपत्र संलग्न है।)
13	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।	शर्त मान्य हैं।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य हैं।

15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा,।	शर्त मान्य है।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत: वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है। प्रपत्र संलग्न है।
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिये निर्माण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तानान्तरित नही की जायेगी।	शर्त मान्य है।
22	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यावाही होगी।	शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त मान्य है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्ताकरण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे, राज्य के वन विभाग के पर्यावेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा।मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रपत्र संलग्न है। शर्त मान्य हैं।
25	यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य हैं।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार सैन्द्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी तीन –तीन प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार कुल 21 पृष्ठ।

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
गैरसैण

दिनांक –

पत्रांक :–

प्रतिलिपि :–अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, इन्द्रिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
गैरसैण

1/10823/2023

!! आदेश !!

जनपद चमोली में दिवालीखाल–किमोली–नारायणबड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 13.044 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 वी/यू0सी0पी0/06/147/2016/एफ0 सी0/1666 दिनाँक 28.10.2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली के पत्र संख्या–51/ना0ना0–विविध जाँच/2023 दिनाँक 19.12.2023 की आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में जनपद चमोली के तहसील नारायणबड़ अन्तर्गत दिवालीखाल–किमोली– नारायणबड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घेरबूंगा, पटवारी क्षेत्र गढ़कोट, तहसील नारायणबड़ के नॉन जेड–ए, खतौनी खाता संख्या–08, खसरा संख्या–432, रकवा 24.288 हेक्टेयर मध्ये 13.044 हेक्टेयर भूमि, ''श्रेणी–09 (03) (ड़)–बंजर भूमि'' सिविल सोयम भूमि, प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/ 2012–18 (120)/2010 दिनाँक 17.12.2012 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण/ हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनाँकः दिसम्बर 2023
स्थानः गोपेश्वर,

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली

संख्या– 1421/छब्बीस–(2023–2024) दिनाँकः गोपेश्वरः तद्दिनाँक हस्ताक्षरित,
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03 अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
04 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
05 आयुक्त गढ़वाल, मण्डल पौड़ी।
06 उप जिलाधिकारी/तसीलदार थराली।
07 प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकनन्दा, वन प्रभाग, गोपेश्वर/नन्दादेवी राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
08 सहायक भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली (गोपेश्वर)
09 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैंण।

Signed by Abhinav Shah
Date: 27-12-2023 19:58:48 जिलाधिकारी,
चमोली।

07 प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकनन्दा, वन प्रभाग, गोपेश्वर/नन्दादेवी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

1295/LA
05/11/2020

पत्र सं0 8बी/यूसीपी0/06/147/2016/एफ0सी0 / 1666

दिनांकः 28/10/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 721/x-4-16/1(190)/2016 दिनांक 22.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal FP/UK/ROAD/11039/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 23, अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद – चमोली में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.044 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम घेरबूंगा सिविल खसरा नं0 432 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.522 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 2025 trees including 835 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग की सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग को पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land and select non-forest forest of less dense area for this purpose.
8. State Government will submit the revised CA scheme incorporating the ANR, soil conservation and water conservation provisions into it.
9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन परिवेश ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानकों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
12. एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
13. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(डी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

10

खतौनी प्रपत्र सं० प-11

1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी 9(3)ग स्थाई पशुचर व चराई की घास भूमियाँ						
7	गौचर		1	0.270			
			96	0.030			
			173	0.013			
			184	0.013			
			240	0.161			
			272	0.105			
			333	0.090			
			316	0.025			
			376	0.706			
			396	0.221			
			397	0.432			
			417म	5.748			
			418	0.123			
			433	0.331			
			14	8.110			
	श्रेणी 9(3)घ वृक्ष (छान को) ध						
	श्रेणी 9(3)(ड.) कृषि योग्य बंजर						
8	बंजर		4	0.004			
			19	0.088			
			26	0.009			
			40	0.033			

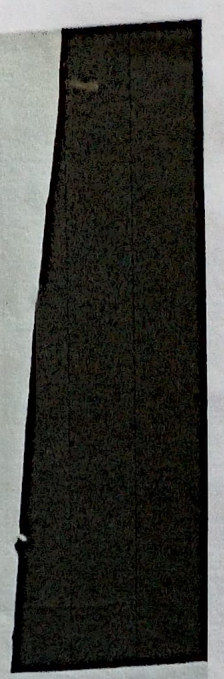

1	2	3	4	5	6	7	8
						5	

मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी चमोली आदेश संख्या - 1421/छब्बीस - (2023-2024) दिनांक : गोपेश्वर : तद्दिनांक 27-12-2023 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या - 8बी/यू० सी० पी०/06/147/2016/एफ० सी०/1666 दिनांक 28.10.2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपजिलाधिकारी थराली के पत्र संख्या - 51/ना० ना० - विविध जाँच/2023 दिनांक 19.12.2023 की आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में जनपद चमोली के तहसील - नारायणबगड़ अन्तर्गत दिवालीखाल - किमोली - नारायणबगड़ मोटरमार्ग निर्माण हेतु ग्राम - घेरखूंगा, पटवारी क्षेत्र गडकोट, तहसील - नारायणबगड़ के जेड - ए खतौनी खाता संख्या - 08, खसरा संख्या 432, रकबा 24.288 हेक्टेयर मध्ये 13.044 हेक्टेयर भूमि "श्रेणी - 09(03)(ड) - बंजर भूमि" सिविल सोयम भूमि, प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग - 02, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या - 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, के सम्बंध में आदेश दर्ज किया।

(हस्ताक्षर)
23/02/2024
रा० उ० नि० गडकोट

	श्रेणीवार	42	0.004
		48	0.046
		51	0.004
		54	0.019
		69	0.048
		75	0.025
		76	0.063
		78	0.033
		80	0.054
		91	0.263
		111	0.023
		202	0.015
		212	0.088
		432	24.280
		438	0.015
		439	0.006
		451	0.005
		459	0.045
		22	25.100
	योग श्रेणी 9	23	28.500
	श्रेणी 10 खातेके खाते की अकृषित		
	श्रेणी 10(1) पतितभूमि भूमि		
9	गधेरा	436	0.557

	श्रेणीवार	440	0.013
		463	0.267
		464	0.477
		4	1.814
10	गूला	434	0.074
		/	/
		1	0.074
11	प्रबन्धक महकमा सिंचाई विभाग	267	0.028
		271	0.005
		277	0.035
		348	0.021
		414	0.034
		416	0.029
		6	0.157
12	रोली	445	0.004
		/	/
		1	0.004
	श्रेणी 10(2) हस्तान्तरणीय रेखाये गुलवन [illegible]		
13	धारा	444	0.01
		447	0.013
		2	0.014
14	धारा गूला	460	0.001
		462	0.015
		2	0.016
		4	0.030

 योग श्रेणी 10(2)